प्रेस विज्ञप्ति

11/10/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने 10.95 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 08.10.2025 और 09.10.2025 को अहमदाबाद, गुजरात में 06 स्थानों पर छापेमारी की।

ईडी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा तीन फर्मों - श्री ओम फैब, श्री बाबा टेक्सटाइल और श्री लक्ष्मी फैब - के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत के बाद सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। रंजीत कुमार जे. लूनिया के स्वामित्व वाली ये सभी फर्में ग्रे कपड़े के व्यापार में लगी हुई हैं जिन्होंने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके नकद ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं।

स्वीकृत धनराशि को अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तिगत अचल संपत्तियों के आवास ऋण चुकाने, अचल संपत्तियों की खरीद, सोने और चांदी के बुलियन की खरीद और नकद निकासी आदि के उद्देश्य से डायवर्ट किया गया था। बैंक के साथ हुई कुल धोखाधड़ी लगभग 10.95 करोड़ रुपये की है।

तलाशी के दौरान, आरोपी व्यक्तियों द्वारा लॉकरों में छिपाए गए 3 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण और 23 लाख रुपये की सावधि जमा को भी पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत फ्रीज कर दिया गया। इसके अलावा, तलाशी के दौरान करोड़ों रुपये की संपत्ति से संबंधित विवरण/दस्तावेज भी मिले हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।